न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—06 / 2021 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा—टिब्बी तहसील टिब्बी जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अयूब खान, राज. मरूधरा ग्रा. बैंक, क्षैत्रीय व्यवसाय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन ।

——प्रार्थी

बनाम

1. श्री गुरजीत सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह (गुरजीत सिह प्रो. मै. सिधू एंटरप्राईजेज) निवासी—वार्ड नं. 20, तहसील—टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——ऋणी

2. जसवीर कौर(मृतक) पत्नी जगदेव सिंह निवासी—वार्ड नं. 20, तहसील—टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. लखविन्द्र सिंह पुत्र हरचंद सिंह निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील—टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——जमानती

उत्तराधिकारीगण जसवीर कौर(मृतक) –

(1) जगदेव सिंह (पति)
(2) गुरजीत सिंह (पुत्र)
(3) जीत सिंह (पुत्र)

} निवासी—वार्ड नं. 20, तहसील—टिब्बी जिला हनु.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते

आदेश दिनांकः—08.07.2021

प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ की ओर से श्री अमित कुमार वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को 33,00,000 / —रूपये (अखरे तैंतीस लाख रूपये) की ऋण सुविधाये उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को गारन्टी के रूप में अचल वाणिज्यक सम्पत्ति (मैरिज पैलेस) स्थित चक नं. 6, जीजीआर, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 330′ गुणा 165′ = 54450 वर्गफुट) में अवस्थित है जो की जसवीर कौर (मृतक) पत्नी जगदेव सिंह के नाम से है, जिससे सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके ऋणी / जमानतदारों द्वारा प्रार्थी बैंक के हक में साम्यक बंधक किया।

अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को ऋण राशि नियमानुसार एवं समय पर नही चुकाने के कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 13.06.2019 को गैर—निष्पादनीय आस्ति (NPA) कर दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण का ऋण खाता एनपीए होने पर प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से एक मांग नोटिस दिनांक 20.11.2020 ''सरफेसी अधिनियम 2002'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा अप्रार्थीगण को बकाया ऋण राशि चुकाने हेतु दिये गये। इस नोटिस की जानकारी अप्रार्थीगण को हो चुकी है। अप्रार्थीगण को नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर 34,28,775/–रूपये(अखरे चौंतीस लाख अठाइस हजार सात सौ पिचहतर रूपये) दिनांक 16.11.2020 तक का ब्याज व आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे अतिरिक्त जमा कराना था। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की राशि बैंक को रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया। तब प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत दिनांक 09.02.2021 को प्रेषित करते हुए साम्यिक बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने का लिखा। अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस के पश्चात भी ऋण की पूर्ण अदायगी प्रार्थी बैंक को आज तक नहीं करवायी और न ही साम्यिक बंधक सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द किया है। इसलिए बैंक द्वारा उक्त बन्धकित सम्पति को विक्रय किया जाना है।

प्रार्थी बैंक को बन्धकित सम्पति को अप्रार्थीगण से कब्जा लेने के लिये पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अनुसार उक्त वर्णित बन्धकित सम्पति से संबंधित दस्तावेजात का कब्जा प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ व राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन को दिलवाने जाने हेतु पुलिस इमदाद के आदेश फरमाया जावे।

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि का भुगतान समय पर करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ''सरफेसी अधिनियम 2002'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कियाा जाना पाया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण का भुगतान राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–टिब्बी तहसील टिब्बी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforoement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–टिब्बी तहसील टिब्बी के पास साम्यिक बंधक अचल वाणिज्यक सम्पत्ति (मैरिज पैलेस) स्थित चक नं. 6, जीजीआर, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 330' गुणा 165' = 54450 वर्गफुट) में अवस्थित है जो की जसवीर कौर (मृतक) पत्नी जगदेव सिंह के नाम से है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण का ऋण खाता एनपीए होने पर प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से एक मांग नोटिस दिनांक 20.11.2020 "सरफेसी अधिनियम 2002" की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा अप्रार्थीगण को बकाया ऋण राशि चुकाने हेतु दिये गये। इस नोटिस की जानकारी अप्रार्थीगण को हो चुकी है। अप्रार्थीगण को नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर 34,28,775/–रूपये(अखरे चौंतीस लाख अठाइस हजार सात सौ पिचहतर रूपये) दिनांक 16.11.2020 तक का ब्याज व आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे अतिरिक्त जमा कराना था। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की राशि बैंक को रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया। तब प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत दिनांक 09.02.2021 को प्रेषित करते हुए साम्यिक बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने का लिखा। अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस के पश्चात भी ऋण की पूर्ण अदायगी प्रार्थी बैंक को आज तक नहीं करवायी और न ही साम्यिक बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द किया है। इसलिए बैंक द्वारा उक्त बन्धकित सम्पति को विक्रय किया जाना है।

प्रार्थी बैंक को बन्धकित सम्पति को अप्रार्थीगण से कब्जा लेने के लिये पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अनुसार उक्त वर्णित बन्धकित सम्पति से संबंधित दस्तावेजात का कब्जा प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ व राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन को दिलवाने जाने हेतु पुलिस इमदाद के आदेश फरमाया जावे।

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि का भुगतान समय पर करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा "सरफेसी अधिनियम 2002" की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कियाा जाना पाया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण का भुगतान राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–टिब्बी तहसील टिब्बी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforoement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–टिब्बी तहसील टिब्बी के पास साम्यिक बंधक अचल वाणिज्यक सम्पत्ति (मैरिज पैलेस) स्थित चक नं. 6, जीजीआर, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 330′ गुणा 165′ = 54450 वर्गफुट) में अवस्थित है जो की जसवीर कौर (मृतक) पत्नी जगदेव सिंह के नाम से है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़